

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार  
समेकित बाल विकास सेवाएँक्रमांक एफ.11(3)( )नाबार्ड/मो/आईसीडीएस/07/59632-66<sup>4</sup> जयपुर, दिनांक  
3.9.09उप निदेशक (बाल विकास),  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
समस्तविषय :- आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की ईकाई लागत निर्धारण कर  
भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2009-10 में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार प्रत्येक जिले की ईकाई लागत चाही है। अतः आप आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के लिए ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार ईकाई लागत (तकमीना) जिले के सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाकर निदेशालय को सात दिवस के अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि वित्त विभाग को ईकाई लागत से अवगत करवाया जा सके।

निदेशक  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर